

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:मलेरिया/एनवीबीडीसीपी/ 2020/ 121

दिनांक: 18/3/20

विडियो कॉन्फ्रेंस आदेश

श्रीमान अति. मुख्य सचिव (चिकित्सा) की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2020 को DOIT के माध्यम से दोपहर 3.00 बजे से 5.00 बजे तक विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी है, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।

1. मेडिकल कॉलेज, जिला व ब्लॉक आरआरटी टीम के रिफ्रेशर प्रशिक्षण 3.00 से 3.45
2. COVID-19 की रोकथाम के लिये जिलों द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा 3.45 से 5.00
विडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नानुसार अधिकारी/प्रतिभागी भाग लेना सुनिश्चित करें-

राज्य स्तर

क्र.सं.	पदनाम	वीसी का स्थान
1	मिशन निदेशक एनएचएम	स्वास्थ्य भवन DOIT सेन्टर, ग्राउण्ड फ्लोर
2	प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल	
3	अति. मिशन निदेशक एनएचएम	
4	निदेशक (जन स्वा.)	
5	निदेशक (आरसीएच)	
6	निदेशक (एडस)	
7	अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.)	
8	संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)	
9	संयुक्त निदेशक (आपदा)	
10	एसएनओ (आईडीएसपी)	

जिला स्तर

क्र.सं.	पदनाम	वीसी का स्थान
1	संयुक्त निदेशक, जोन	जिला DOIT सेन्टर, संबंधित जिला
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
3	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.)	
4	समस्त पीएमओ	
5	डीपीएम (शहरी व ग्रामीण)	
6	एपिडिमियोलॉजिस्ट व वीबीडी कन्सलटेन्ट	
7	मेडिकल कॉलेज व जिला आरआरटी सदस्य	
8	जिला आशा समन्वयक	
9	जिला आईईसी कॉर्डिनेटर	

ब्लॉक स्तर

क्र.सं.	पदनाम	वीसी का स्थान
1	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी	खण्ड DOIT सेन्टर, संबंधित खण्ड
2	बीपीएम	
3	सीएचसी इन्चार्ज	
4	ब्लॉक आरआरटी सदस्य	
5	ब्लॉक आशा फ़ैसीलेटर	

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 18/3/20

क्रमांक:मलेरिया/एनवीबीडीसीपी/ 2020/ 121

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक (एडस), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
8. अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.)।
12. प्रभारी सर्वर रूम वास्ते विडियो कॉन्फ्रेंस करवाने की आवश्यक व्यवस्था व ईमेल करवाने एवं वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
13. केयर टेकर को वीसी हॉल उपलब्धता व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु प्रेषित।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,